संख्या 31011/3/2016-स्था.(क-IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना (ए- IV)) डेस्क
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 17 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाते समय शताब्दी/राजधानी/दुरन्तो में फलेक्सी-फेयर की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

रेलवे बोर्ड के 2016 के परिपत्र सं. 46 दिनांक 07.09.2016 के अनुसार रेल मंत्रालय ने राजधानी/शताब्दी/दुरन्तो में एक फलेक्सी-फेयर प्रणाली शुरू की है जिसमें प्रत्येक 10% बर्थ की बिक्री पर मूल किराए में 10% तक की वृद्धि होगी और यह निर्धारित सीमा के अध्याधीन होगी। इस संबंध में इस विभाग को एलटीसी के प्रयोजन से इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग करते समय फलेक्सी-फेयर की स्वीकार्यता के मुद्दे पर विभिन्न पक्षों से स्पष्टीकरण की अपेक्षा वाले पत्र प्राप्त हुए है।

2. इस मामले की जांच, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि राजधानी/शताब्दी/दुरन्तो में लागू फलेक्सी (डाइनेमिक किराया) किराया एलटीसी पर इन ट्रेनों द्वारा की गई यात्रा के लिए स्वीकार्य होगा। यह डाइनेमिक किराया घटक उन मामलों में स्वीकार्य नहीं होगा जब कोई ऐसा सरकारी सेवक जो हवाई यात्रा के लिए हकदार न हो और हवाई यात्रा करने के बाद राजधानी/शताब्दी/दुरन्तो जैसे ट्रेनों की हकदार श्रेणी की प्रतिपूर्ति का दावा करें। ऐसे सरकारी सेवक डाइनेमिक किराया घटक की कटौती की जाने के बाद किराया की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे।

3. उपरोक्त निर्णय 9 सितम्बर, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अर्थात उस तारीख से लागू होगा जब रेलवे द्वारा फलेक्सी फेयर प्रणाली शुरू की गई थी।

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि:
1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्ताकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित (का.ज्ञा./आदेश→स्थापना→एलटीसी नियमावली)